तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/3/26	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित वादी का [illegible] जाता है कि [illegible] वाद को स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिख्या जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली [illegible] अनुसार की तरमीम से कार्यवाही कर पत्रावली [illegible] रिकार्ड में शामिल हो [signature] उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02/24	05.01.2024	06.03.2026

बउनवान

1. गजेसिंह पुत्र श्री फुसा उर्फ फुसाराम जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय (लैण्ड होल्डर) तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रतिवादी

2. हंसराज
3. अभय सिंह
4. विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम जातियान अहीर निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– तरतीबी प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री अनिल यादव :– वकील वादी

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 548/0.46 है0, 556/0.57 है0, वाके ग्राम हुलमाना कलां तहसील मुण्डावर व आराजी ख0 नं0 हाल 353/0.16 है0, 477/0.24 है0, 480/0.11 है0, 481/0.11 है0, 177/0.27 है0, 178/0.25 है0, 712/0.27 है0, 713/0.27 है, 863/0.25 है0, 464/0.09 है0, 867/0.43 है0, 870/0.54 है0, वाके ग्राम मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है जो वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है।
2. यह है कि हाल आराजी ख0 नं0 353 जिसके साबिक नं0 377, ख० नं0 464 जिसके साबिक नं0 422, ख0 नं0 477 जिसके साबिक नं0 446, ख0 नं0 480 जिसके साबिक नं0 445, ख0 नं0 481 जिसके साबिक नं0 444, ख० नं0 177 जिसके साबिक नं0 159, ख0 नं0 178 जिसके साबिक नं0 159/932, ख0 नं0 712 जिसके साबिक नं0 274, ख0 नं0 713 जिसके साबिक नं0 275, ख0 नं0 863 जिसके साबिक नं0 747, ख० नं0 867 जिसके साबिक नं0 751, ख० नं0 870 जिसके साबिक नं0 754, वाके ग्राम मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर व आराजी हाल ख० नं0 548 जिसके साबिक नं0 440 व ख० नं0 556 जिसके साबिक नं0 445 भूप्रबंध विभाग द्वारा कायम किये गये है। नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न वाद पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

3. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन वादी व तरप्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, मिन वादी व तरप्रतिवादीगण ग्रामीण परिवेश के रहने वाले है तथा मिन वादी का असल नाम गजेसिंह, तरप्रतिवादी सं0 2 का नाम हंसराज, तरप्रतिवावादी सं० 3 का नाम अभयसिंह, तरप्रतिवादी सं० 4 विनोद कुमार है लेकिन उक्त विवादित आराजी का इंतकाल दर्ज कराते समय राजस्व रिकोर्ड में नाम वादी का नाम गजराज, तरप्रतिवादी सं० 2 का नाम हंसराम, तरप्रतिवादी सं० 3 का नाम हबेसिंह, तरप्रतिवादी सं० 4 का नाम बोदन दर्ज कर दिया जबकि मिन वादी व तरप्रतिवादीगण का असल रिकोर्ड में नाम गजेसिंह व हंसराज, अभयसिंह, विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम है, सहवन से राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम गजराज व तरप्रतिवादी सं० 2 का नाम हंसराम, तरप्रतिवादी सं0 3 का नाम हबेसिंह एवं तरप्रतिवादी सं० 4 का नाम बोदन दर्ज कर दिया जिसको मिन वादीगण दुरूस्त कराकर गजेसिंह व हंसराज, अभयसिंह, विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम दर्ज कराने के अधिकारी है, जिस हेतू दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती पेश करना लाजिम आया है।
4. यह है कि मिन वादी व तरप्रतिवादीगण का जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड, सभी अन्य दस्तावेजात में नाम गजेसिंह व हंसराज, अभयसिंह, विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम दर्ज है, इसलिये मिन वादी व तरप्रतिवादीगण के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, जिस हेतू उक्त विवादित आराजी में नाम गजेसिंह व हंसराज, अभयसिंह, विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम किया जाना आवश्यक और न्यायसंगत है, क्योंकि राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम गजराज व तरप्रतिवादी सं० 2 का नाम हंसराम, तरप्रतिवादी सं० 3 का नाम हबेसिंह एवं तरप्रतिवादी सं० 4 का नाम बोदन दर्ज रहने से मिन वादी व तरप्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है, और नापूर्ती होने वाली क्षति भी मिन वादी व तरप्रतिवादीगण को हो रही है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो रहा है, जिस कारण उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कर मिन वादी का नाम गजेसिंह पुत्र श्री फुसा उर्फ फुसाराम व तरप्रतिवादीगण हंसराज, अभयसिंह, विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम दर्ज कराने के अधिकारी है।
5. यह है कि उक्त विवादित आराजी को दुरूस्त करने बाबत नाम वादी व तरप्रतिवादीगण ने असल प्रतिवादी को कई बार मौखिक और लिखित निवेदन किया था लेकिन दिनांक 25/08/2023 को असल प्रतिवादी ने स्पष्ट मना कर दिया कि अदालत से आदेश लेकर आओ बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद है।
6. यह है कि दावा दायरी से पूर्व असल प्रतिवादी को दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन दावा अरजेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस का समय नहीं रहा इसलिये बिना नोटिस ही दावा पेश किया जा रहा है। ईजाजत प्रार्थना पत्र दफा 80 (2) जाप्ता दिवानी संलग्न वाद पत्र है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी व तरप्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

(अ) यह करार दिया जावे कि आराजी ख० नं० हाल 548/0.46 है0, 556/0.57 है0, वाके ग्राम हुलमाना कलां तहसील मुण्डावर व आराजी ख0 नं0 हाल 353/0.16 है0, 477/0.24 है0, 480/0.11 है0, 481/0.11 है0, 177/0.27 है0, 178/0.25 है0, 712/0.27 है0, 713/0.27 है0, 863/0.25 है0, 464/0.09 है0, 867/0.43 है0, 870/0.54 है0, वाके ग्राम मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में वादी का नाम गजेसिंह पुत्र श्री फुसा उर्फ फुसाराम व तरप्रतिवादीगण हंसराज, अभयसिंह, विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे तथा हाल राजस्व रिकोर्ड में वादी गजेसिंह व तरप्रतिवादीगण हंसराज, अभयसिंह, विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम खातेदार दर्ज किया जावे। आदेश दिये जावे।

(ब) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे ।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श – 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74, प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 किता–6, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2071 किता–8, प्रदर्श–4 नकल इन्तकाल संख्या 108, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2042, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2037, प्रदर्श– 7 जमाबन्दी सम्वत 2042, प्रदर्श–8 इन्तकाल नम्बर 164, प्रदर्श– 9 इन्तकाल नम्बर 118 किता – 2, प्रदर्श–10 इन्तकाल नम्बर 141 किता –2, प्रदर्श–11 जमाबन्दी सम्वत 2041 किता –2, प्रदर्श–12 शपथ पत्र, प्रदर्श–13 सरपंच ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, छायाप्रति वोटर आई डी, आधार कार्ड, राशन कार्ड पेश किये गये है।

प्रार्थी (वादी) बहस :–

वाद का स्वरूप

यह वाद वादी गजेसिंह पुत्र फुसा उर्फ फुसाराम द्वारा धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत इश्तकार–हक व दुरूस्ती इन्द्राज (नाम सुधार) हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद का मूल उद्देश्य केवल राजस्व अभिलेखों (जमाबन्दी/इन्तकाल) में गलत दर्ज नामों को सही करवाना है, न कि स्वामित्व विवाद उत्पन्न करना।

विवादित तथ्य

विवादित आराजियों ग्राम हुलमाना कलां व मुण्डनवाडा कलां की जमाबन्दी में वादी व तरतीबी प्रतिवादियों के वास्तविक नामों के स्थान पर गलत नाम दर्ज हो गये हैं –

गजेसिंह के स्थान पर गजराज
हंसराज के स्थान पर हंसराम
अभयसिंह के स्थान पर हबेसिंह
विनोद कुमार के स्थान पर बोदन

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

जबकि सभी व्यक्ति वास्तविक रूप से फुसा उर्फ फुसाराम के पुत्र हैं और विवादित भूमि पर खातेदारी काश्त में काबिज हैं।

दस्तावेजी साक्ष्य
वादी ने अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किये :–
नकल जमाबन्दी (सम्वत 2037, 2041, 2042, 2071–74, 2072–75), इन्तकाल प्रविष्टियां (नं. 108, 118, 141, 164), मिलान क्षेत्रफल, सरपंच प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड
इन सभी दस्तावेजों में वादी व तरतीबी प्रतिवादियों के नाम गजेसिंह, हंसराज, अभयसिंह व विनोद कुमार पुत्रान फुसा उर्फ फुसाराम ही अंकित हैं। अतः स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम लेखन केवल लिपिकीय/सहवन त्रुटि है।

कब्जा व अधिकार
वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण पीढ़ियों से उक्त भूमि के काश्तकार व खातेदार हैं तथा उनके खातेदारी अधिकारों पर कोई वास्तविक विवाद नहीं है। गलत नाम दर्ज रहने से सरकारी योजनाओं का लाभ, फसल गिरदावरी, ऋण/पट्टा/मुआवजा में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा अपूरणीय क्षति हो रही है।

प्रतिवादी का आचरण
वादी ने तहसीलदार (असल प्रतिवादी) को कई बार निवेदन किया, परंतु 25–08–2023 को स्पष्ट मना कर दिया गया कि न्यायालय से आदेश लाओ। इसलिए न्यायालय की शरण लेना आवश्यक हुआ और वाद समयावधि के भीतर है।

कानूनी स्थिति
धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि को सुधारना न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। जब स्वामित्व, कब्जा व पहचान दस्तावेजों से सिद्ध हो और त्रुटि मात्र नाम की हो, तो सुधार किया जाना न्यायसंगत व विधिसम्मत है।

निष्कर्ष (प्रार्थना)
अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि –
विवादित आराजियों में वादी गजेसिंह पुत्र फुसा उर्फ फुसाराम तथा तरतीबी प्रतिवादीगण हंसराज, अभयसिंह व विनोद कुमार पुत्रान फुसा उर्फ फुसाराम को खातेदार घोषित किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत नामों को दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार को आवश्यक आदेश पारित किये जावें। अन्य न्यायोचित राहत भी प्रदान की जावे।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि :– वाद वादी गजेसिंह पुत्र श्री फुसा उर्फ फुसाराम द्वारा धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत इश्तकार–हक मय दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया गया है। वादी का मुख्य कथन यह है कि विवादित आराजियों ग्राम हुलमाना कलां एवं मुण्डनवाडा कलां की जमाबन्दी व इन्तकाल अभिलेखों में

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के वास्तविक नामों के स्थान पर सहवन/लिपिकीय त्रुटिवश गलत नाम अंकित हो गये हैं, जिनके कारण खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रदर्शित नकल जमाबन्दियां, इन्तकाल प्रविष्टियां, मिलान क्षेत्रफल, शपथ–पत्र, सरपंच प्रमाण–पत्र तथा आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में वादी तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम क्रमशः गजेसिंह, हंसराज, अभयसिंह एवं विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम अंकित हैं। इन दस्तावेजों से व्यक्तियों की पहचान तथा उनका पारिवारिक संबंध सिद्ध होता है। अभिलेखों में दर्ज नाम गजराज, हंसराम, हबेसिंह एवं बोदन होना मात्र लेखन त्रुटि प्रतीत होती है।

प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम ही सही हैं अथवा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ही वास्तविक काश्तकार/खातेदार हैं तथा भूमि पर उनका कब्जा व अधिकार चला आ रहा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार है कि वह खातेदारी अधिकार की घोषणा करते हुए राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को दुरुस्त कराने का आदेश प्रदान करे। जब प्रविष्टि मात्र नाम की त्रुटि के कारण गलत पायी जाती है और वास्तविक स्थिति दस्तावेजों से सिद्ध हो जाती है, तब अभिलेख दुरुस्ती न्यायहित एवं विधिसम्मत है।

अतः उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य, परिस्थितियों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम त्रुटिपूर्ण हैं तथा वादी गजेसिंह एवं तरतीबी प्रतिवादीगण हंसराज, अभयसिंह व विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम ही विवादित आराजियों के वास्तविक खातेदार हैं। इसलिए वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

वाद वादी के उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 548/0.46 है0, 556/0.57 है0 ग्राम हुलमाना कलां तथा खसरा नम्बर 353/0.16 है0, 477/0.24 है0, 480/0.11 है0, 481/0.11 है0, 177/0.27 है0, 178/0.25 है0, 712/0.27 है0, 713/0.27 है0, 863/0.25 है0, 464/0.09 है0, 867/0.43 है0, 870/0.54 है0 ग्राम मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान की जमाबन्दी में वादी गजेसिंह पुत्र श्री फुसा उर्फ फुसाराम तथा तरतीबी प्रतिवादीगण हंसराज, अभयसिंह एवं विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम को खातेदार दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अभिलेखों में अंकित गलत नाम गजराज, हंसराम, हबेसिंह एवं बोदन को निरस्त कर सही नाम उपर्युक्त अनुसार दुरुस्त किये जावें। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
02/24	05.01.2024	06.03.2026

बउनवान

1. गजेसिंह पुत्र श्री फुसा उर्फ फुसाराम जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय (लैण्ड होल्डर) तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रतिवादी

2. हंसराज
3. अभय सिंह
4. विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम जातियान अहीर निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– तरतीबी प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री अनिल यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 06.03.2026** को **श्री सृष्टि जैन, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष निर्णय हुआ था। पर्चा डिक्री जारी की जाती है :–

विवादित आराजी खसरा नम्बर 548/0.46 है0, 556/0.57 है0 ग्राम हुलमाना कलां तथा खसरा नम्बर 353/0.16 है0, 477/0.24 है0, 480/0.11 है0, 481/0.11 है0, 177/0.27 है0, 178/0.25 है0, 712/0.27 है0, 713/0.27 है0, 863/0.25 है0, 464/0.09 है0, 867/0.43 है0, 870/ 0.54 है0 ग्राम मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान की जमाबन्दी में वादी गजेसिंह पुत्र श्री फुसा उर्फ फुसाराम तथा तरतीबी प्रतिवादीगण हंसराज, अभयसिंह एवं विनोद कुमार पुत्रान श्री फुसा उर्फ फुसाराम को खातेदार दर्ज किया जावे।

राजस्व अभिलेखों में अंकित गलत नाम गजराज, हंसराम, हबेसिंह एवं बोदन को निरस्त कर सही नाम उपर्युक्त अनुसार दुरुस्त किये जावें। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner